फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय ACJ

केस संख्या T/ 95/20 नन्दलाल बनाम मेनका देवी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आज दिनांक 6/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक मंच द्वारा आज कन्सोलेस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वतयार दिनांक 18/12/24 पेश हो।
	18/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी वकील अपीलार्थी द्वारा कार्यालय कार्य नहीं की गयी। वकील अपीलार्थी का पक्ष को अवसर दिया जाता है। पत्रावली को मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद इन्जक्शन विपक्षी सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति आर्थिक पक्ष में प्रतीत नहीं होती। अतः वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी मेनका शुक्ला चोपड़ा डी निकाले का ही निर्णय मय दिनांक 18/12/24 के लिया जाकर फैसला सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर